न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–91/2015

कारु दाय वगैरह.....वादीगण

बनाम

मो0 लालवती देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

23.05.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–3 की ओर से न्यायालय आदेश दिनांक–25.10.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–13.12.2024 तथा उसके तत्संबंधित वादीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–09.05.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु चल रहा था और प्रतिवादी जो कि ग्रामीण और अशिक्षित व्यक्ति हैं एवं जो नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष गवाही देता था, लेकिन दिनांक–25.10.2024 को वादी गॉव से बाहर गया हुआ था और उसका गवाह बीमार हो गया इसलिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। दुर्भाग्यवश प्रतिवादी ऐसी गंगीर परिस्थितियों में शामिल जो याचिकार्ता के नियंत्रण से बाहर थी जिस कारण उसका साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और उनका साक्ष्य बन्द हो गया, जबकि प्रतिवादी ने जानबूझकर वाद को आगे बढ़ाने में कोई कोताही नहीं की है तथा यदि प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक–25.10.2024 को वापस लेते हुए साक्षी सूचि के अनुसार प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादीगण ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, क्योंकि प्रतिवादी डेढ साल से उपर अभी तक मात्र एक साक्षी का प्रतिपरीक्षण कराया है, जबकि प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु बार–बार अवसर दिया गया जिसके पश्चात् प्रतिवादी का साक्ष्य दिनांक–25.10.2024 को न्यायालय द्वारा बन्द किया गया। अतः प्रतिवादी के आवेदन को खाारिज करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद न्यायालय आदेश दिनांक–25.10.2024 के द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य बन्द करने के पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी बहस हेतु नियत किया गया है, चूँकि वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के बहस हेतु अग्रसारित है। प्रतिवादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा पिछले तिथियों पर साक्षी के अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य न कराने के कारण उनका साक्ष्य दिनांक–25.10.2024 को बन्द कर दिया गया, परन्तु अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को साक्ष्य प्रदान करने का एक अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी साक्ष्य नहीं दिए और आदेश वापस लेने से विलंब कारित होगा। तद्नुसार प्रतिवादी का आवेदन मो0 400/– रुपये वादीगण को अदा किए जाने के शर्त पर स्वीकृत करते हुए आदेश दिनांक–25.10.2024 को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि प्रतिवादी अगली चार तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 18-07-2025 वास्ते पुनः प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।